न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.
पैरोल अपील सं0 01/2022 अशोक कुमार बनाम राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

निर्णय

दिनांक 11.10.2022

पत्रावली आज पेश हुई। यह अपील बंदी अशोक कुमार पुत्र नैनाराम, जाति दिशान्तरी निवासी आदर्श कॉलोनी जोधपुर रोड, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर, हाल–केन्द्रीय कारागृह जोधपुर, स्वयं के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2022 मार्फत अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर (राज0) द्वारा प्रस्तुत की गई, जो अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर के पत्र कमांकःकारा./प्रशा./पैरोल/2021/164 दिनांक 5.1.22 द्वारा न्यायालय हाजा को अग्रेसित की गई।

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 18 राज0 प्रिजन्स रिलीज पैरोल रूल्स, 2021 विरूद्ध आदेश अध्यक्ष, जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा बंदी अशोक कुमार को 07 दिवस की सामान्य पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2021 को अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील/प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार मुख्य रूप यह आग्रह किया गया कि बंदी आजीवन कारावास की सजा विगत 14 वर्षो से केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में सद्आचरण व शांति पूर्वक भुगत रहा है। बंदी को अपने नाबालिग बच्चो व बीमार पत्नी का ईलाज करवाने एवं उनके लिए उचित भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था करने हेतु 07 दिवस की पैरोल स्वीकृत करावे। अपीलांट की उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के सम्मन जारी किए गये व अधीनस्थ कार्यालय का रेकर्ड तलब किया गया।

इस दौरान प्रकरण में उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर–प्रथम) जोधपुर को संबोधित पत्र कमांकः कारा./सी.टी./2022/8419 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमान शासन उप सचिव गृह (ग्रुप–12) विभाग राज0 जयपुर के आदेश कमांक प.7(14)गृह–12/कारा./222 दिनांक 23.05.2022 एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश कमांकः न्याय/बंदी/स्थायी पैरोल/2022/1643 दिनांक 26.05.2022 की पालना में उक्त बंदी को स्थायी पैरोल पर रिहा कर दिया गया है, अतः बंदी को वर्तमान में 07 दिवस के पैरोल की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त स्थिति में अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष, अपेक्षित नही होने के कारण उक्त अपील स्वतः सारहीन हो जाने से, तदनुसार खारीज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

11/10/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर